



नौवहन सहायता वधियक, 2020 का मसौदा

प्रीलिमिन्स के लिये:

दीपस्तंभ और दीपपोत महानदिशालय, लाइटहाउस अधिनियम, 1927

मेन्स के लिये:

नौवहन सहायता वधियक-2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) ने वभिन्नि हतिधारकों एवं आम जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिये नौवहन सहायता वधियक-2020 (The Aids to Navigation Bill, 2020) का मसौदा जारी किया है।


प्रमुख बडि:

- **नौवहन सहायता**, एक प्रकार का नशान या संकेत है जो यात्री को नेवीगेशन में (आमतौर पर समुद्री या वमिन्नन यात्रा में) सहायता करता है। इस तरह की सहायता के सामान्य प्रकारों में प्रकाशस्तंभ, प्लाव (Buoys), कोहरे के संकेत एवं दनि के दीपस्तंभ शामिल हैं।
- नौवहन सहायता वधियक, 2020 का यह मसौदा लगभग नौ दशक पुराने **लाइटहाउस अधिनियम, 1927** (Lighthouse Act, 1927) को प्रतस्थिापति करने के लिये लाया गया है ताकि इसमें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहति किया जा सके।
 - इस वधियक का उद्देश्य समुद्री नौवहन की अत्याधुनिक तकनीकों को वनियमति करना है जो पहले **लाइटहाउस अधिनियम, 1927** के वैधानिक प्रावधानों में उलझी हुई थी।
 - **लाइटहाउस अधिनियम, 1927** नौवहन के दौरान प्रकाशस्तंभ के रख-रखाव एवं नयित्रण के प्रावधानों से संबंधति एक अधिनियम है। इसे वर्ष 1927 में अंगरेज़ों द्वारा अधिनियमति किया गया था।
- **दीपस्तंभ और दीपपोत महानदिशालय (Directorate General of Lighthouses and Lightships) का शक्तकिरण:**
 - यह अधिनियम अतरिकित अधिकार एवं कार्य जैसे- पोत यातायात सेवा, जहाज़ के मलबे को हटाना, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत अन्य दायित्वों का कार्यान्वयन जहाँ भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, के साथ 'दीपस्तंभ और दीपपोत महानदिशालय' (DGLL) को सशक्त बनाने का प्रावधान करता है।

दीपस्तंभ और दीपपोत महानदिशाल

(Directorate General of Lighthouses and Lightships-DGLL):

- यह जहाज़रानी मंत्रालय के अंतरगत अधीनस्थ कार्यालय है जो भारतीय तट से संबंधति समुद्री नेवीगेशन के लिये सामान्य सहायता प्रदान करता है।
- इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जल में सुरक्षति जल यात्रा के लिये नाविकों को नौवहन सहायता प्रदान करना है।



- इस मसौदे में अपराधों की एक नई अनुसूची भी शामिल की गई है। जिसके तहत नौवहनीय सहायता में बाधा डालने एवं नुकसान के लिये तथा केंद्र सरकार एवं अन्य निकायों द्वारा जारी दशा-नरिदेशों का अनुपालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।
- **नौवहनीय उपकरण के लिये सहायता:** भारत में किसी भी बंदरगाह से आने या जाने वाले प्रत्येक जहाज को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर उपकरण का भुगतान करना होगा।
 - वर्तमान में केंद्र सरकार लाइटहाउस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत में किसी भी बंदरगाह से आने या जाने वाले सभी वदेशी जहाजों से **प्रकाश देयताओं (Light Dues)** की वसूली करती है।
 - प्रकाश देयताएँ (Light Dues), प्रकाशसंतंभों के रखरखाव एवं नेवीगेशन हेतु अन्य सहायता के लिये जहाजों पर लगाए गए शुल्क हैं।

महत्त्व:

- यह मसौदा पुराने औपनिवेशिक कानूनों को नरिस्त करके तथा समुद्री उद्योग की आधुनिक एवं समकालीन ज़रूरतों के साथ प्रतिस्थापित करके जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा अपनाए गए सक्रिय दृष्टिकोण का एक हिससा है।
- अक्सर यह देखा जाता है कि वर्ष 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कस्टम विभाग द्वारा लाइटहाउस अधिनियम की गलत व्याख्या की गई है जिससे अधिक मात्रा में बकाया प्रकाश देयताओं का गलत तरीके से संग्रह हुआ जिससे नागरिकों पर वित्तीय एवं आर्थिक बोझ बढ़ा है।
- आधुनिक तकनीक के कारण समुद्री नेवीगेशन को वनियमिति एवं संचालित करने वाले अधिकारियों की भूमिका में तेज़ी से बदलाव आया है और साथ ही समुद्री नेवीगेशन के आवागमन में सुधार हुआ है। नए कानून में 'लाइटहाउस' से लेकर 'नेवीगेशन में आधुनिक सहायता' तक प्रमुख बदलाव शामिल किये गए हैं।
- आम नागरिक एवं विभिन्न हतिधारकों के सुझाव इस कानून के प्रावधानों को मज़बूत करेंगे। यह शासन में लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

स्रोत: पीआईबी